

LT-9(6/77)

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION (i) AS G.S.R. NO. 952 DATED 23.7.77

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi the 2nd July, 1977
Asadha 11, 1899 S.E.

N O T I F I C A T I O N

G.S.R. 952 In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1977.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in the second proviso to sub-rule (2) of rule 29, the words "within two months from the date of the completion of the work of survey and demarcation of the area to be surrendered" shall be inserted at the end.

File No. 1(29)/76-MVI/MV

Sd/- T.R. Viswanathan
Deputy Secretary to the Government of India

The Manager Publications,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Indl. Area,
Nr. Rajouri Garden, New Delhi.

LIBRARY

4.8.77

LT-816/77

भारत के राजपत्र भाग-2 खंड-3 उप खंड (1) में प्रकाशनार्थ सा०का०नि० 952
दिनांक 23-7-77 के रूप में प्रकाशित ।

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 1977

अधिसूचना

11 आषाढ़, 1899शक

सा० का० नि०-खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 67) के खंड-13 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियमावली 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) ये नियम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1977 कहलाएंगे ।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू बाने जाएंगे ।
2. खनिज रियायत नियमावली, 1960 में नियम 29 के उप नियम (2) के द्वितीय परन्तुक में "वापस किए जाने वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण तथा सीमांकन का कार्य पूरा होने की तारीख से 2 महीनों के अन्दर " शब्दों की अन्त में जोड़ा जाएगा ।

फाईल संख्या 1(29)/76-खान 6

50

(टी० आर० विश्वनाथन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में :-

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया,

राजौरी गार्डन के निकट,

नई दिल्ली ।